**प्रेस विज्ञप्ति**
**10.06.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 52.35 करोड़ रुपये (अनुमानित बाजार मूल्य 120 करोड़ से अधिक) की संपत्तियों का प्रत्यावर्तन (की वापसी) की है। अचल और चल संपत्तियों के रूप में इन संपत्तियों को ईडी ने मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) के मामले के अन्वेषण के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत अपराध करने के लिए मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा कंसोर्टियम के 10 सदस्य बैंकों की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स एसबीएफएल ने कंसोर्टियम के 10 अलग-अलग बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था, जहां एसबीआई कंसोर्टियम बैंक में अग्रणी बैंक था। कंपनी का ऋण खाता 31/03/2015 को कुल 3269.42 करोड़ रुपये बकाया के साथ गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में विघटित हो गया। मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड गेहूं का आटा, दाल, चावल आदि बनाने का व्यवसाय करती थी। एसबीएफएल ने कंसोर्टियम बैंकों से ऋण सुविधाएं ली थीं, जिन्हें बिना वास्तविक व्यवसाय वाले विभिन्न फर्जी संस्थाओं और एसबीएफएल की सहयोगी कंपनियों में डायवर्ट (विपथित) कर दिया गया था। फर्जी संस्थाओं के साथ इस तरह के फर्जी लेनदेन फर्जी बिलों और परिवहन दस्तावेजों के आधार पर किए गए, जो इन लेनदेन को वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के रूप में प्रस्तुत करते थे। इस तरह की प्रक्रिया में एसबीएफएल द्वारा लिए गए ऋण को डायवर्ट करने, घुमाने और हेराफेरी करने के लिए कई फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान लगभग 108 ऐसी फर्जी संस्थाओं को चिह्नित किया गया है। इन नकली संस्थाओं को एंट्री ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था, जो इन नकली संस्थाओं के माध्यम से समायोजन (अकोमॉडेशन) प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए कमीशन लेते थे। नकली संस्थाओं/शेल कंपनियों के माध्यम से फंड रोटेशन करते समय, ऐसे और कई अन्य नकली संस्थाओं को नकद, कमीशन भुगतान और व्यापार छूट आदि के रूप में ऋण निधि भी दी जाती थी। इसके अलावा, एसबीएफएल द्वारा लिए गए ऋण निधियों का कुछ हिस्सा इन नकली संस्थाओं में हस्तांतरित कर दिया गया और उसके बाद इन निधियों को बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के एसबीएफएल, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और विभिन्न तृतीय पक्षों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया गया। यह एसबीएफएल और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा उधार ली गई निधियों के साशय, सोच-समझकर और प्रकल्पित रूप से गबन करने के साक्ष्य हैं। अपराध के आगम (पीओसी) को बेदाग दिखाने के लिए इन निधियों का उपयोग संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।

जांच के दौरान, ईडी ने विभिन्न आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 131.93 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए 05 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 06 अभियोजन शिकायतें दर्ज की थीं। माननीय एनसीएलटी द्वारा नियुक्त परिसमापक [देनदारों की समिति/कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) की ओर से जिसमें कंसोर्टियम ऋणदाता बैंक शामिल हैं] ने ईडी द्वारा कुर्क की गई कुछ चल और अचल संपत्तियों की वापसी के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

धन शोधन के अपराध के वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध की आय (पीओसी) वापस करने के पीएमएलए, 2002 के आशय के अनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत कुछ कुर्क संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए सहमति दी। ईडी के पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, माननीय विशेष न्यायाधीश, (पीएमएलए) ने अपने दिनांक 04.06.2025 के आदेश के माध्यम से 52.35 करोड़ रुपये (अनुमानित बाजार मूल्य 120 करोड़ से अधिक) मूल्य की कुर्क अचल और चल संपत्तियों को सीओसी के प्रतिनिधि परिसमापक को वापस करने का आदेश पारित किया। वैध दावेदारों और पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी ईडी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध के आगम (पीओसी) प्रभावित लोगों को वापस हो। ईडी वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।